

28/25

तारानगर (पूरु)

पत्रावली पैश हुई। प्राची व वकील प्राची उपस्थित नहीं।  
इनके अनुपस्थिति रहने के कारण प्राचीना-पत्र से संबंधित  
कैल दावा अदालत में दाखिल करने में खर्च हो  
चुका है। जिससे यह प्राचीना-पत्र भी अब अविद्यमान  
हो गया है।

अतः यह प्राचीना-पत्र भी इसी स्वरूप पर खर्च  
किया जाता है। पत्रावली निर्वाह में कुमारकी आवे तथा  
दरतीप तकमिल की जाकर दाखिल दफ्तर की आवे।

Jayendra  
उपखण्ड अधिकारी  
तारानगर (पूरु)